Title: Need to review the decision to ban use of Charitable funds by Urban Cooperative Banks in the country- Laid.

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव) : महोदय, रिजर्व बैंक द्वारा 3 अगस्त, 1992 और 19 जनवरी, 1996 को जारी सर्कूलर ने शहरी सहकारी बैंकों के चेरिटेबल फंड्स के विनियोग के अधिकार को सीमित कर दिया है। सामाजिक और आर्थिक दृटि से पिछड़े हुए घटकों को स्वयंपूर्ण बनाने में कार्य कर रही विभिन्न गैर सरकारी संघटनों को शहरी सहकारी बैंकों द्वारा भारी सहयोग मिलता आ रहा है। इस राशि का उपयोग शहरी सहकारी बैंकों द्वारा विभिन्न समाजोपयोगी योजनाओं के उन्नयन में लगाया जाता था, जिससे गैर सरकारी संघटनों द्वारा किए जा रहे सामाजिक उपक्रमों में काफी मदद होती थी, किन्तु रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के चेरिटेबल फंड्स के उपयोग के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने से इस काम में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं।

अत: मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रख कर रिजर्व बैंक के इस नियंत्रण को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए तथा शहरी सहकारी बैंकों के चेरिटेबल फंड्स के विनियोग के अधिकार को फिर से बहाल किया जाए।